

# कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह, जिला-खरगोन - 2405

फार्म - प्रथम श्रेणी / वृत्तीय श्रेणी हेतु

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2009-10 (31/12/2009 की स्थिति में)

अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम

डॉ. डी. कंजुलता

वर्तमान धारित पद

प्राचार्य

वर्तमान वेतन

18300/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01-07-2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्योरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
खंभाठा-इन्दौर जिला-इन्दौर नरसीम-इन्दौर (अष्टपदरेश)	आकाश (35X50) 1750 वर्ग फीट	-	20 लाख लाभाभावा	संयुक्त सम्पत्ति (स्वयं एवं पत्नी के नाम)	सम्पत्ति स्वयं की आय से अर्जित की गई।	-	-

• जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।

• ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य  
बतलाया जाए ।

• इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी- म.प्र. शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह  
अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत  
करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के  
किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर

डॉ. डी. कंजुलता

नाम  
पद  
विभाग

डॉ. डी. कंजुलता  
प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय बड़वाह

उच्च शिक्षा विभाग

अ०५०